रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220868
CG-DL-E-06082020-220868

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/ श्रावण 14, 1942
No. 311] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

IndiaCode

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

**सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.063.**—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"5. **परिसमापक की नियुक्ति**

(1) कारपोरेट व्यक्ति, विनियम 6 के अधीन रहते हुए, किसी दिवाला व्यावसायिक को परिसमापक के रूप में नियुक्त करेगा और जहां कहीं भी अपेक्षित हो, यथास्थिति, धारा 59 की उपधारा (3) के खंड (ग) या विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन पारित संकल्प द्वारा किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक को परिसमापक के रूप में नियुक्त करके उसे प्रतिस्थापित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे संकल्प में परिसमापक की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत उसे संदेय पारिश्रमिक भी हैं, अंतर्विष्ट होंगे ।

(2) दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक के रूप में अपनी नियुक्ति के तीन दिन के भीतर बोर्ड को ऐसी नियुक्ति के बारे में सूचित करेगा।"।

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/4/असा. /168/2020-21]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 26, तारीख 15 जनवरी, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी. एन./आर.ई.जी.054, तारीख 15 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था ।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

**Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2020**

**No. IBBI/2020-21/GN/REG.063.**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

**1.** (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely: -

"**5. Appointment of liquidator.**

(1) Subject to regulation 6, the corporate person shall appoint an insolvency professional as liquidator, and, wherever required, may replace him by appointing another insolvency professional as liquidator, by a resolution passed under clause (c) of sub-section (3) of section 59 or clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 3, as the case may be:

Provided that such resolution shall contain the terms and conditions of appointment of the liquidator, including the remuneration payable to him.

(2) The insolvency professional shall, within three days of his appointment as liquidator, intimate the Board about such appointment.".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT. /III/4/Exty. /168/2020-21]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010 on 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 dated 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2020 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG054 dated 15th January, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 26 on 15th January, 2020.

Loaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.06 15:56:44 +05'30'